दिनाक 14.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–14/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुरनगर/थाना अनवरगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 13 लाख 85 हजार रूपये आदि बरामद**

दिनांक 14.10.2020 को थाना अनवरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1–अमन, 2–शिरीष उर्फ चीनू, 3–छोटू उर्फ डान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गये 13 लाख 85 हजार रूपये, डीबीआर, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक:05.10.2020 को कोपरगंज के पास स्थित वादी की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अनवरगंज पर मु0अ0सं0–357/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से बरामद 13 लाख 85 हजार रूपये व डीबीआर आदि उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना अनवरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन नि0 76/314गुलियाना सब्जीमण्डी ,थाना बादशाहीनाका जनपद कानपुर नगर।

2–शिरीष उर्फ चीनू नि0 76/220 गुलियाना थाना बादशाहीनाका जनपद कानपुर नगर।

3–छोटू उर्फ डान नि0 76/212 गुलियाना थाना बादशाहीनाका जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1–13 लाख 85 हजार रूपये नगद।

2–सीसीटीवी का डीबीआर, घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।

जनपद शाहजहाँपुर /थाना कटरा

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार लगभग 18 लाख रूपये कीमत की स्मैक(हेरोइन) बरामद**

दिनांक 13.10.2020 को सायं थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा कटरा तिलहर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नहर पुलिया से एक अभियुक्त आबिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 18 लाख रू0 कीमत की 90.20 ग्राम स्मैक(हेरोइन) बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

आबिद निवासी मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगीः—

90.20ग्राम स्मैक(हेरोइन) कीमत लगभग 18 लाख रू0।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर , 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.10.2020 की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काशीराम कालोनी मानपुर तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो ट्रक लूट व पुलिस मुठभेड़ की घटना में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

राजन निवासी धुमरिया थाना रिजोर जनपद एटा ।

बरामदगी

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना दुल्लहपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटरसाइकिल, 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 14.10.2020 को थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेवरिया पुल के पास से दो अभियुक्तों 1–नीरज , 2–रामजी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद व आसपास के क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज निवासी टडवाटप्पा(सऊरी) थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर।
2–रामजी निवासी इग्लीस थाना बिरनो जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1– चोरी की 06 मोटरसाइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस

3– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अतिरिक्त पॉक्सो, प्रथम)द्वारा थाना पहासू पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि व 4 पॉक्सों एक्ट में अभियुक्त विवेक उर्फ रूपू को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद रामपुर/थाना शहजादपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 साल का सश्रम कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा थाना शहजादपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 377 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त बिजेन्द्र को 20 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास की सजा एवं 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा महिलाओं/बच्चियों सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु और अधिक प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये दिशा निर्देश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु पूर्व में मुख्यालय स्तर से समय समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य योजना तैयार कर और अधिक प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में:—

- महिलाओं विशेषकर बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों का तत्काल पंजीकरण करते हुए नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाय तथा गुणवत्ता परक विवेचनात्मक कार्यवाही समय से पूर्ण कराये जाने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये ।

जनपद चित्रकूट कोतवाली कर्वी में दिनॉक **13.10.2020** को घटित दुष्कर्म की घटना में मृतका की मॉ की लिखित तहरीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–531/2020 धारा 305/341/376डी भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट अभियोग में आज दिनॉक 14.10.2020 को **तीन अभियुक्त** को **गिरफ्तार** कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुख्यालय स्तर से कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है।

जनपद गोण्डा में दिनॉक 13.10.2020 को थाना परसपुर क्षेत्र में 03 लड़कियों पर फेंके गये केमिकल की घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–306/2020 धारा 326ए भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त को दिनांक 13.10.2020 की रात्रि में पुलिस कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ में दिनॉक 13.10.2020 को थाना क्षेत्र बागराय में एक किशोरी के कुएं में कूदकर आत्महत्या की घटना के सम्बन्ध में मृतका के पिता की तहरीर पर मु0अ0सं0–387/2020 धारा 354/306/506 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट के अभियोग में वॉछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

जनपद रायबरेली में दिनॉक 13.10.2020 को थाना उचांहार क्षेत्र में दिव्यांग लड़की के साथ घटित दुष्कर्म की घटना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 529/2020 धारा 376 भादवि व 5/6 पास्को एक्ट में वॉछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

जनपद बरेली में दिनॉक 12.10.2020 को सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों की पैसे के लेन देन के वायरल वीडियों के सम्बन्ध में अन्तरिम जॉचोपरान्त 10 पुलिस कर्मियों के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–535/2020 धारा 7/13 भ0 नि0 अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर निलम्बन की कार्यवाही की जा चुकी है। सभी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समान्तर प्रचलित है।

एसटीएफः Shine.com & quikr.com/jobs से बेरोजगार युवक युवतियों का डेटा चोरी कर विभिन्न बैंको के एच0आर0 बनकर नौकरी देने का लालच देकर http://shinejobsselection.in व http://refund.shineclickjob.com जैसे फिशिंग लिंक Whatsapp के माध्यम से भेजकर Qwick Support & Anydesk साफ्टवेयर का प्रयोग कर क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल प्राप्त कर आनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 12 अभियुक्त जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार

दिनांकः 13—10—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को Shine.com & quikr.com/jobs से बेरोजगार युवक युवतियों का डेटा चोरी कर विभिन्न बैंको के एच0आर0 बनकर नौकरी देने का लालच देकर http://shinejobsselection.in व http://refund.shineclickjob.com जैसे फिशिंग लिंक Whatsapp के माध्यम से भेजकर Qwick Support & Anydesk साफ्टवेयर का प्रयोग कर क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल प्राप्त कर आनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सगरना सहित 12 अभियुक्तों को आरडीसी राजनगर जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :—

1— शादाब खान उर्फ रोहन राठौर उर्फ फरहान पुत्र महताब खान, निवासी बी 508 गली न0 4, राजीव नगर, थाना हर्ष बिहार, दिल्ली 110093। (गैंग सरगना)
2— अंकित कुमार कौशिक पुत्र मांगेराम कौशिक निवासी आशिफपुर उजैड़ा, थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।
3— महबूब पुत्र सुनील सिंह निवासी 385 गली न0 1 मालीवाड़ा, थाना कोतवाली कवीनगर, जनपद गाजियाबाद।
4— गुरप्रीत पुत्री बलविन्दर सिंह निवासी सी 3/555 गली न0 27 हर्ष बिहार, थाना हर्ष बिहार, दिल्ली 110093।
5— गुंजन सैन पुत्री दिनेश चन्द्र निवासी बी 73 ए नन्दग्राम, थाना सिहानी, जनपद गाजियाबाद।
6— शिवानी शर्मा पुत्री कौशल शर्मा निवासी खंजरपुर, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद।
7— अना पुत्री शमशाद निवासी शक्कोवाली गली, वार्ड नम्बर 22 मुरादनगर, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।
8— इमराना पुत्री यूसुफ निवासी चुंगी न0 3 बनियावाला, मोहल्ला मुरादनगर, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।
9— अर्पिता पुत्री सुरेन्द्र राव निवासी 508 गोफनामोड आटो स्टैण्ड, चक्कीवाली गली हरवंश नगर, थाना सिहानी, जनपद गाजियाबाद।
10— मानसी पुत्री रामदेव यादव निवासी बी 248 सेक्टर 23 संजय नगर, थाना कवीनगर, जनपद गाजियाबाद।
11— ज्योती पुत्री जयपाल सिंह जे 149 सेक्टर 23 संजय नगर, थाना कवीनगर, जनपद गाजियाबाद।
12— प्राची पुत्री एसपी सिंह निवासी राधेश्याम कालोनी फेज 2, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी—

1. 03 अदद लैपटाप।
2. 19 अदद मोबाइल।
3. 04 अदद एटीएम कार्ड।
4. 01 अदद आधार कार्ड।

5. 02 अदद पैनकार्ड।
6. 01 अदद डीएल।
7. 01 अदद निवार्चन कार्ड।
8. 01 अदद वाईफाई डोंगल।
9. 05 अदद पेज कस्टमर डेटा व लैपटाप मे लगभग दस हजार कस्टमर के क्रेडिट/डेबिट कार्ड का डिटेल।
10. 12 अदद रजिस्टर (बेरोजगारों से ठगी गये रूपयों का हिसाब)।
11. 01 अदद कार टाटा टियागो (डीएल–10 सीएच 9717)।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः–</u>

दिनांक 13.10.2020, स्थान ए–14/303 देविका चैम्बर आरडीसी राजनगर जनपद गाजियाबाद, समय 19:45 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फिशिंग लिंक Whatsapp & Email के माध्यम से भेजकर Qwick Support & Anydesk जैसे रिमोट एक्सेस साफ्टवेयर का प्रयोग कर क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल प्राप्त कर आनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रहीम नगर, महानगर, लखनऊ निवासी शिवानी वारा ने नौकरी के लिए Shine.com पर आनलाइन आवेदन किया था दिनांक 19/08/2020 को एक लडकी द्वारा काल कर बताया गया कि मैं axis bank से HR राधिका बात कर रही हूँ आपने Shine.com पर आनलाइन आवेदन किया था यदि आप axis bank की जाब मे इंट्रेस्टेड है तो मैं आपको Whatsapp पर एक लिंक भेंज देती हूँ आपको अपना फार्म भरना होगा व रजिस्ट्रेशन करने के लिए 10 रूपये आवेदन शुल्क के रूप मे क्रेडिट/डेबिट कार्ड से पेमेंट करने होंगें। शिवानी वारा द्वारा जाब के लिए इंट्रेस्टेड होने व 10 रूपये आवेदन शुल्क के रूप मे क्रेडिट/डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए हां करने पर उपरोक्त फर्जी HR राधिका द्वारा Whatsapp पर http://shinejobsselection.in का लिंक भेज दिया गया। लिंक को ओपेनकर शिवानी वारा द्वारा फार्म भरकर 10 रू का पेमेंट डेबिट कार्ड से किया गया परन्तु शिवानी के एकाउंट से रू 1000/ कट गये, जिसकी शिकायत शिवानी द्वारा की गयी तो उपरोक्त फर्जी HR राधिका द्वारा अपने सीनियर रिफंड डिपार्टमेंट से बात कराकर रूपये रिफंड करने के लिए Whatsapp पर एक लिंक http://refund.shineclickjob.com भेजा और उस सीनियर रिफंड डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि आपको लिंक पर 990रू भर देना है आपको रिंफड हो जायेगा परन्तु ऐसा करने पर इस बार 49000/ रूपया कट गया, जिसकी शिकायत फिर से करने पर उपरोक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि मैंम गलती से कट गया है आप शिकायत करेंगी तो मेरी नौकरी चली जायेगी आप कल रिफड वाले लिंक को दुबारा खोले और कन्फर्मेशन कोड मुझे बताये मैं 49990 रूपया तुरन्त आपको वापस कर दूंगा। इसके बाद दिनांक 20/08/2020 को फिर लिंक रिफंड वाला लिंक खोलकर 49990/रू डालने पर 49000/रू फिर से कट गये इससे शिवानी को अब लगा कि उनके साथ ठगी हो रही है। उपरोक्त घटना के परिपेक्ष्य मे शिवानी वारा उपरोक्त द्वारा थाना महानगर, जनपद लखनऊ मे मु0अ0स0 353/2020 धारा 420 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम मे उपरोक्त मुकदमे मे धारा 468/471/34 भादवि व 66 सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। उपरोक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 13/10/2020 को समय करीब

19:45 बजे गैंग के सरगना सहित उपरोक्त अभियुक्तों को ए—14/303 देविका चैम्बर, आरडीसी राजनगर, जनपद गाजियाबाद से एसटीएफ व थाना महानगर की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार गैंग के सरगना शादाब खान ने बताया कि मैंने 2016 मे 12वीं पास करने के बाद कानसेंट्रिक्स कम्पनी सेक्टर 62 नोएडा मे रिलायंस जियो के कस्टमर केयर मे एक्जीक्युटिव के पद पर ज्वाइन कर 2017 तक काम किया। इसके बाद 2018 मे कनवर्जेज इंडिया प्रा0लि0 गुडगांव मे डेल के कस्टमर केयर मे एक्जीक्युटिव के पद पर जुलाई 2019 तक काम किया। इसके बाद अक्टूबर 2019 मे कम्प्युसाफ्टेक कम्पनी से0 135 नोएडा मे ज्वाइन किया यह कम्पनी टेक सर्पोट का काम करती थी यहा पर मुझे कुछ तकनीकी जानकारियां हो गयी, इसके बाद मैने अपना खुद का काल सेंटर जुलाई 2020 मे उपरोक्त पते पर खोल लिया। इस कालसेंटर के माध्यम से फिशिंग लिंक Whatsapp के माध्यम से भेजकर Qwick Support & Anydesk साफ्टवेयर का प्रयोग कर क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल प्राप्त कर आनलाइन ठगी का काम प्रारम्भ कर दिया। मैने फिशिंग लिंक भेजने के लिए shinejobsselection.in Website बनवायी। इस कालसेंटर मे प्रयोग होने वाले सिमों को मै फर्जी नाम पते पर लेता था और हर 15 दिन मे सिम बदल देता था। shinejobsselection.in Website मेरे दोस्त शुभम उर्फ स्काई वर्मा ने डेवलप करायी थी हमारी वेबसाइट पर जो भी कस्टमर जाब के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल डालते थे वह Website पर हमे दिखायी देती रहती थी उस Website को हमारे सेंटर से गुरप्रीत व गुंजन मॉनिटर करती थी और कार्ड डिटेल सेव कर लेती थी। इसी डिटेल का प्रयोग कर हम लोग gyftr.com & woohoo.in Website से Amazon गिफ्टबाउचर खरीदते थे, गोल्ड लोन चुकाते थे व आनलाइन शापिंग करते थे इन सभी मे फर्जी खातों का प्रयोग किया जाता था जिससे पुलिस हमे खोज न सके । फिशिंग रजि0 लिंक http://shinejobsselection.in व फिशिंग रिफंड लिंक http://refund.shineclickjob.com को भेजने व कस्टमर को संतुष्ट करने का काम अंकित व शिवानी का था बाकी सभी टैलीकालर काल कर कस्टमर को 10 रू का रजि0 करने पर नौकरी मिलने का झांसा देकर लिंक पर कार्ड डिटेल शेयर कराते थे।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों मे से 10 अभियुक्तों को 41(1) ए सीआरपीसी का नोटिस मौके पर दिया गया। शेष दो अभियुक्तों शादाब व अंकित को थाना महानगर जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0स0 353/2020 धारा 420/468/471/34 भादवि व 66 सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।